न्यायालयः—साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला—अशोकनगर (म.प्र.)

<u>दांडिक प्रकरण कं.-416/08</u> <u>संस्थापित दिनांक-12.11.2008</u> Filling no-235103000082008

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :— आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।अभियोजन विरुद्ध 1— दिनेश पुत्र रघुनाथ ढीमर उम्र 28 साल निवासीगण — ग्राम मुरादपुर चंदेरी जिला अशोकनगर

-: <u>निर्णय</u>:-

(आज दिनांक 12.12.2017 को घोषित)

- 01— अभियुक्त के विरूद्ध धारा 341, 294, 324, 325, 506 बी भा0द0वि0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि दिनांक 17.07.2008 को 10:30 बजे ग्राम प्राणपुर में फरियादी श्यामबाई का रास्ता रोककर उसे सदोष अवरोध कारित किया एवं श्यामबाई को मां—बहन की अश्लील गालिया देकर उसे तथा अन्य सुनने वालो को क्षोभ कारित किया तथा फरियादी को धारदार अस्त्र से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की एवं फरियादी की स्वेच्छया पूर्वक मारपीट कर अस्थिभंग कारित कर घोर उपहित कारित की एवं फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 02— अभियोजन का पक्ष संक्षेप में है कि फरियादिया श्यामबाई ने अपने लडके हरिचरण एवं राजकुमार के साथ थाना चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई थी कि उसका खेत तथा दिनेश का खेत पास—पास में है। दिनेश ने उसके खेत में से देक्टर निकाला था तब खेत में फसल खड़ी थी। अब उसके खेत में उडद व मुंग की फसल खड़ी है। वह अपने खेत पर गई तो दिनेश ने खेत की टगर को तोडकर उसकी फसल का नुकसान कर दिया तथा रास्ता बना दिया। वह वापस घर आ रही थी कि शाहिद चाचा के कुंआ के पास उसे दिनेश मिला, श्यामबाई ने कहा कि उसकी फसल का नुकसान क्यों किया, तभी वह मां बहन की बुरी—बुरी गालियां देने लगा और बागड़ करने वाली कांटो की जरी से उसकी मारपीट शुरू कर दी, श्यामबाई के बांये हाथ की कलाई में चोट होकर खून बहने लगा, वह गिर पड़ी तो दिनेश मारने के दौरान उससे चैंट गया जिससे उसके बांये हाथ की अंगुली में, कमर में तथा शरीर के अन्य जगह चोटे आई, उसके चिल्लाने पर शाहीद चचचा तथा उसका लडका हरचरण तथा राजकुमार आ गये थे और उसे बचाया फिर दिनेश

रास्ता रोककर बोलने लगा कि आज तो छोड दिया आइन्दा मिले तो जान से मार दूंगा। पुलिस द्वारा अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये। आरोपी को गिरफ्तार किया तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

- 03— अभियुक्त को आरोपित धारा के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढकर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर अभियुक्त द्वारा स्वयं को निर्दोश होना तथा रंजिशन झुठा फसाया जाना एवं बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया
- 04- प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न हैं कि :--
- 1. क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 17.07.2008 को 10:30 बजे ग्राम प्राणपुर में फरियादी श्यामबाई का रास्ता रोककर उसे सदोष अवरोध कारित किया ?
- 2. उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर श्यामबाई को मां—बहन की अश्लील गालिया देकर उसे तथा अन्य सुनने वालो को क्षोभ कारित किया ?
- 3. उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी को धारदार अस्त्र से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
- 4. उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी की स्वेच्छया पूर्वक मारपीट कर अस्थिभंग कारित कर घोर उपहित कारित की ?
- 5. उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

:: सकारण निष्कर्ष ::

विचारणीय प्रश्न क0 1, 2, व 5:-

05— विचारणीय प्रश्न क0 1, 2 व 5 का निराकरण साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये एक साथ किया जा रहा है। अभियुक्त के विरुद्ध आरोपों को संदेह से पर प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। फरियादी श्यामबाई अ0सा03 ने उसके न्यायालयीन कथन में व्यक्त किया गया कि वह अभियुक्त दिनेश को जानती है। घटना उसके न्यायालयीन कथनों से करीब 5—6 साल पूर्व की है। साक्षिया का पुलिस रिपोर्ट प्र.पी.3 पर अंगुठा होने से उसे पुलिस रिपोर्ट प्र.पी.3 पढकर सुनाई जाने पर उक्त साक्षी ने कहा कि उसे याद नहीं है कि उसने प्र.पी.3 के ए से ए भाग की रिपोर्ट थाने में लिखाई थी अथवा नहीं। अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षी से न्यायालय की अनुमित से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने मुख्य परीक्षण के पैरा 3 में इस बात को स्वीकार किया कि आरोपी दिनेश ने मारपीट करने से पहले उसे मां बहन की बुरी—बुरी गालिया दी थी।

06— विष्णु प्रसाद वि० म०प्र० राज्य 1975 जे.एल.जे 148 में माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मां बहन की गालियां अश्लीलता की परिधि में नहीं आती है ऐसे शब्द अभद्र तो हो सकते है किन्तु अश्लील नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त यहां यह भी उल्लेखनिय है कि प्रकरण में स्वयं फरियादिया श्यामबाई अ०सा03 द्वारा उसके कथनो में स्पष्ट रूप से यह तथ्य भी नहीं आया कि अभियुक्त ने उसे लोक स्थान पर गाली दी थी। भारतीय दण्ड विधान की धारा 294 के अपराध को साबित करने के लिये मात्र इस प्रकार की औपचारिक साक्ष्य थी। अभियुक्त ने गालियां या मां बहन की गालियां दी थी पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। इसके अलावा स्वयं फरियादी श्यामबाई द्वारा उसके न्यायालयीन कथनो में आरोपी द्वारा रास्ता रोकने और जान से मारने वाली बात व्यक्त नहीं की है।

07— फलतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवचेना से यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी श्यामबाई अ0सा03 का रास्ता रोककर सदोष अवरोध कारित किया, मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालो को क्षोभ कारित किया तथा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ।

विचारणीय प्रश्न क. 3 व 4 :--

विचारणीय प्रश्न क0 3 व 4 का निराकरण साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये एक साथ किया जा रहा है। श्यामबाई अ०सा०३ ने उसके मुख्य परीक्षण में बताया कि दिनेश ने उसे बिना किसी बात के उसे मारने लगा। दिनेश ने उसे पीछे से मारा था, लट्ठ से मारा था या छड़ी से मारा था वह नहीं बता सकती। उक्त साक्षी का कहना है कि सिर में चोट के कारण वह गिर गई थी, उसके बाद आरोपी दिनेश उसे मारने चैंट गया था जिससे उसके हाथ, पैर व कमर में चोट आई थी। उक्त साक्षी ने न्यायालय में उसके दांहिने हाथ की अंगुली दिखाई जिसमे फेक्चर था। उक्त साक्षी का कहना है कि मौके पर कोई नहीं था किन्तू उसकी बहु कमला और लंडके राजकुमार को किसी व्यक्ति ने खबर कर दी थी तो वे घटना स्थल पर पहुँच गये थे। प्रतिपरीक्षण ने उक्त साक्षी का कहना है कि मारपीट के समय उसके दोनो हाथों में चोटे आई थी। सबसे पहले उसे पैर में चोट लगी थी जिससे वह गिरकर बेहोश हो गई थी और गुना अस्पताल में होश आया था। यद्यपि उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में बताया कि उसके द्वारा कोई रिपोर्ट थाने में नहीं की थी और प्र.पी.3 की रिपोर्ट उसने नहीं लिखाई थी और उक्त साक्षी ने इस बात से भी अनभिज्ञता व्यक्त की कि उसे यह पता ही नहीं है कि पुलिस में उक्त रिपोर्ट किसने लिखाई थी। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाब से इंकार किया कि आम तोडते समय गिरने से उसे चोट आ गई थी तथा पुरानी रंजिश पर से खेत की मेड के रास्ते के विवाद के कारण झुठी रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थीं।

- 09— सादिक मोहम्मद अ०सा०२ ने उसके कथनो में बताया कि वह आरोपी दिनेश को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथनो से लगभग 5–6 वर्ष पूर्व की है। फरियादी श्यामबाई उसके खेत के उपर जो रोड बना है उससे निकल रही थी तब आरोपी दिनेश ने डण्डे से श्यामबाई के साथ मारपीट की थी, तब श्यामबाई चीखी चिल्लाई तो वह वहां पर पहुँच गया था, जब वह वहां पर पहुँचा तो आरोपी भाग गया था। श्यामबाई वही पर पडी हुई थी। उक्त साक्षी का कहना है कि सायद श्यामबाई का हाथ टूट गया था। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में बताया कि उसने श्यामबाई को मारते हुए नहीं देखा, केवल चिल्लाने की आवाज आई थी और आरोपी को भागते हुए एवं श्यामबाई को पडे हुए देखा था। कमलाबाई अ०सा०४ ने बताया कि वह आरोपी को जानती है, फरियादी श्यामबाई उसकी सास हैं, उसकी सास को आरोपी दिनेश ने लोहे की छड़ी से मारा था। उक्त बात से गाँव के बच्चो ने बताई थी तथा उसकी सास ने भी उसे अस्पताल में आकर घटना के बारे में बताया था। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इस सुझाब को स्वीकार करती है कि उसके सामने आरोपी दिनेश व उसकी सास की कोई बातचीत नहीं हुई और न ही उसे घटना की कोई जानकारी है। उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाब को स्वीकार किया कि उसकी सास को दिनेश ने छड से नहीं मारा।
- 10— रामकुमार अ0सा05 ने उसके कथनो में बताया कि उसकी मां को रास्ते में दिनेश ने मारा था किन्तु किस चीज से मारा था इसकी जानकारी नहीं है क्योंिक वह उस समय घटना स्थल पर नहीं था, उसे घटना के आधा घंटे बाद सूचना मिली थी तब वह घटना स्थल पर गया था तब उसकी मां रास्ते में पड़ी थी, श्यामबाई का हाथ टूट गया था और उसके पूरे शरीर पर चोटे थी। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाब को स्वीकार किया कि उसने उसकी मां को किसी के द्वारा मारते हुए नहीं देखा। उक्त साक्षीने बचाव पक्ष के इस सुझाब से इंकार किया कि वे लोग दिनेश से रंजिश रखते है और आये दिन टेक्टर को लेकर विवाद करते रहते है।
- 11— डॉ. एस.पी.सिद्धार्थ अ०सा०६ ने उसके न्यायालयीन कथनो में बताया कि वह दिनांक 17.07.2008 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चंदेरी में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ था और उक्त दिनांक को थाना चंदेरी के प्रधान आरक्षक राजेन्द्र सिह द्वारा श्यामबाई पत्नी कल्लू को लाये जाने पर उसका मेडिकल परीक्षण किया था जिसमें उसके एक नीलगू निशान माथे पर बांयी तरफ, पीठ के दांहिने बखा पर, दांहिनी कलाई के जोड पर, दांहिनी जांघ के मध्य में सामने से अन्दर की ओर, दांहिनी टांग के मध्य में, बांयी अग्रभुजा पर, दांहिने पैर टार्सल भाग पर, बांयी जांघ के मध्य स्थित था एवं एक फटा घाव बांयी कलाई के जोड पर था। उक्त समस्त चोटो पर सूजन दर्द घाव व खून के थक्के जमे थे और चोटो का रंग लाल था। उक्त चोट सख्त एवं वोथरी वस्तु से आना संभव थी और चोट क0 1, 3, 7 व 8 के लिये एक्सरे की सलाह दी थी। उक्त सम्पूर्ण चोटे साधारण प्रकृति की होकर साक्षी के मेडिकल परीक्षण से 24 घंटे के भीतर की थी। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष के इस

सुझाब को स्वीकार किया कि यदि कोई व्यक्ति तेज मोटरसाईकिल से गिर जाए तो उक्त समस्त चोटे आना संभव है।

- 12— डॉ. सीताराम रघुवंशी अ०सा०८ ने उसके कथनो में बताया कि वह दिनांक 19. 07.200८ को जिला चिकित्सालय गुना में रेडियो लॉजिस्ट के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को मेडिकल ऑफिसर चंदेरी द्वारा भेजे जाने पर उसने आहत श्यामबाई की दांहिनी अग्रभुजा व कलाई, बांयी अग्रभुज व कलाई, दांहिने पैर, बांया पैर का एक्सरे परीक्षण किया था और एक्सरे प्लेट के अवलोकन उपरांत बांये पैर में पहली मेटा कार्पल हड्डी का अस्थिभंग होना पाया था एवं बांयी अग्रभुजा के रेडियस एवं अलना हड्डी के निचले भाग पर अस्थिभंग होना पाया था, किन्तु दांहिने पैर व दांहिनी अग्रभुजा में कोई अस्थिभंग नहीं था। उक्त साक्षी के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट प्र.पी.5 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाब को स्वीकार किया कि यदि कोई व्यक्ति मोटरसाईकिल से गिर जाए तो अस्थिभंग आना संभव है।
- 13— प्रकरण में आई हुई साक्ष्य में फरियादी श्यामबाई अ०सा०3 के कथन उसके मुख्य परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में सारतः अखण्डनीय रहे है कि आरोपी दिनेश द्वारा उसके साथ मारपीट की गई थी और उक्त साक्षी के कथन किसी गंभीर विसंगति या दुर्वलता से ग्रस्त नहीं है। इसके अलावा अभियोजन साक्षी सादिक मोहम्मद द्वारा भी यद्यपि घटना के समय आरोपी द्वारा फरियादी श्यामबाई को मारते हुए न देखा जाना व्यक्त किया है। किन्तु घटना के तुरन्त पश्चात श्यामबाई के चिल्लाने की आवाज एवं आरोपी दिनेश को घटना स्थल से भागते हुए देखा जाना व्यक्त किया है और साक्षी कमलाबाई अ०सा०4 और राजकुमार अ०सा०5 द्वारा भी घटना स्थल पर पहुँचकर श्यामबाई को घायल अवस्था में देखा जाना व्यक्त किया है। आहत श्यामबाई अ०सा०3 को आई हुई चोटो का समर्थन चिकित्सीय साक्षी डाँ० एस.पी.सिद्धार्थ अ०सा०6 एवं रेडियोलॉजिस्ट डाँ. सीताराम रघुवंशी अ०सा०8 द्वारा भी उनकी साक्ष्य में किया है। म०प्र० शासन बनाम हमीम खांन 1999 "2" जे.एल.जे.पी. 310 में माननीय सर्वोच्चय न्यायालय द्वारा यह अभिमत प्रकट किया गया है कि यदि आहत को आई हुई चोटो का समर्थन चिकित्सीय साक्ष्य से होता है तो ऐसी साक्ष्य को विश्वसनीय माना जा सकता है।
- 14— अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि स्वयं फरियादी श्यामबाई द्वारा उसके मुख्य परीक्षण में पुलिस रिपोर्ट प्र.पी. 3 का का ए से ए भाग पढ़कर सुनाने पर साक्षी के द्वारा व्यक्त किया कि उसे याद नहीं है कि उसने ऐसी रिपोर्ट लिखाई थी अथवा नहीं। किन्तु यहां यह उल्लेखनीय है कि फरियादी श्यामबाई ग्रामीण परिवेश की महिला है तथा उसके कथन घटना के 8 साल पश्चात हुए है और इस प्रकार की विसंगति तात्विक प्रकृति की नहीं है क्योंकि फरियादी श्यामबाई द्वारा आरोपी दिनेश द्वारा मारपीट किये जाने के कथन प्रतिपरीक्षण में भी अखण्डनीय रहे है एवं साक्षी

सादिक मोहम्मद द्वारा घटना के तुरन्त पश्चात आरोपी को घटना स्थल से भागते हुए देखना आरोपी का उक्त आचरण धारा 8 साक्ष्य अधिनियम के तहत सुसंगत है तथा फरियादी को आई हुई चोटो का समर्थन चिकित्सीय साक्षी डॉ. एस.पी.सिद्धार्थ एवं डॉ. सीताराम रघुवंशी द्वारा भी किया गया है। अभिलेख पर आहत श्यामबाई, साक्षी सादिक मोहम्मद, कमलाबाई, राजकुमार के कथनो को खारिज किये जाने हेतु किसी भी प्रकार के बड़े विरोधाभास अथवा लोप नहीं है तथा फरियादी श्यामबाई के कथन विश्वसनीय प्रतीत होते है।

- 15— जहाँ तक अभियुक्त द्वारा स्वेच्छ्या उपरोक्त उपहित कारित किये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित है कि अभियुक्त उसके द्वारा किये जा रहे कृत्य एवं उपयोग में लाये गये साधनों को काम में लाते समय यह जानता था या यह विश्वास रखने का कारण रखते थे कि उक्त कृत्य से आहत को उक्तानुसार चोटें आना संभावित है। अभियुक्त द्वारा प्रतिरक्षा के अधिकार या गंभीर प्रकोपन के परिणामस्वरूप आहत को उपरोक्त चोटें कारित किया जाना दर्शित नहीं है।
- 16— उपरोक्तानुसार किये गये विचारणीय बिन्दुओ पर विशलेषण के आधार पर आरोपी दिनेश द्वारा आहत श्यामबाई अ०सा०३ की स्वेच्छया पूर्वक मारपीट कर अस्थिभंग कारित किया जाना प्रमाणित है, किन्तु स्वयं फरियादी श्यामबाई द्वारा उसके कथनो में यह नहीं बताया कि आरोपी दिनेश द्वारा उसे धारदार अस्त्र से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की थी तथा फरियादी श्यामबाई का चिकित्सीय परीक्षण करने वाले डॉ. एस.पी.सिद्धार्थ अ०सा०६ ने भी उनके अभिमत में श्यामबाई को आई हुई चोटे सख्त एवं वोथरी वस्तु से आने की संभावना व्यक्त की है। ऐसी स्थिति में आरोपी दिनेश को भा०द०वि० की धारा 341, 294, 324, 506 बी के आरोप प्रमाणित न होने से दोषमुक्त किया जाता है, और प्रमाणित अपराध धारा 325 भा०द०वि० में दोषी पाते हुए दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।
- 17— आरोपी को परिवीक्षा का लाभ दिये जाने के तथ्य पर विचार किया गया। आरोपी द्वारा आहत श्यामबाई की स्वेच्छया पूर्वक मारपीट कर अस्थिभंग कारित कर धोर उपहित कारित की है। उक्त तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी को परिवीक्षा पर उन्मुक्त किया जाना यह न्यायालय उपयुक्त नहीं पाता है।
- 18— दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतू निर्णय थोडी देर के लिये स्थगित किया गया।

साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0

पुनश्च:-

19— उभयपक्ष को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्त की ओर से प्रथम अपराध एवं उनके निर्धन होने को दृष्टिगत रखते हुए कम से कम दण्ड दिये जाने का निवेदन किया, जबिक अभियोजन की ओर से अधिक से अधिक दण्ड दिये जाने का निवेदन किया। प्रकरण के तथ्य, आहत को आई चोटो एवं अभियुक्त की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को निम्नानुसार दिण्डत किया जाता है।

अभियुक्त	धारा	सश्रम कारावास	अर्थदण्ड की राशि	अर्थदण्ड के व्यतिकम में सश्रम कारावास
दिनेश	325	6 माह	500 / —	15 दिन

20— अभियुक्त द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

21- प्रकरण के निराकरण हेतु कोई मुद्देमाल विद्यमान नहीं है।

22- अभियुक्त के जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर घोषित किया गया ।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0